स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 129, दिनांक 26–04–2025

एफसीआई (भारतीय खाद्य निगम) से टेण्डर दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी कर 04 करोड़ की ठगी करने वाले गिरोह का सरगना गिरफ्तार।

दिनांकः 26–04–2025 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को एफसीआई (भारतीय खाद्य निगम) से टेण्डर दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी कर 04 करोड़ की ठगी करने वाले गिरोह के सरगना को लखनऊ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

1– अरविन्द चौहान उर्फ सागर खण्डेलवाल उर्फ नजाहिर हुसैन पुत्र स्व0 अजादार हुसैन नि0 3/69 प्रथम तल, गढ़ी, पूर्वी कैलाश दक्षिणी दिल्ली।

बरामदगी–

1– 02 अदद मोबाइल फोन।
2– 01 अदद घड़ी।
3– 1,500 नगद।
4– कूटरचित आधार कार्ड (अरविन्द चौहान, सागर खण्डेलवाल)
5– भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) का कूटरचित पहचान पत्र (अरविन्द चौहान)
6– कूटरचित बैंक ड्राफ्ट की छायाप्रति 02 वर्क।
7– निर्वाचन कार्ड नजाहिर हुसैन की छायाप्रति 02 वर्क।
8– पैन कार्ड नजाहिर हुसैन।
9– भारतीय खाद्य निगम के टेण्डर से सम्बन्धित कूटरचित प्रपत्र 96 वर्क।

गिरफ्तारी का दिनांक, स्थान व समयः– पुलिस मार्डन स्कूल विनीत खण्ड, गोमतीनगर लखनऊ के पीछे दिनांक 25–04–2025 समय 20.30 बजे।

आवेदक श्री सैयद रफत मुईन पुत्र सैयद मुइनुद्दीन निवासी विरामखण्ड, गोमतीनगर लखनऊ द्वारा उनके साथ एफसीआई से 140 करोड़ का टेण्डर दिलाने के नाम पर अरविन्द चौहान उर्फ सागर खण्डेलवाल, अभिषेक ठाकुर, विशाल गर्ग, अभिषेक जैन व प्रकाश द्वारा 04 करोड़ रूपये की ठगी करने के सम्बन्ध में शिकायती प्रार्थना दिया गया था। जिसकी जॉच श्री विशाल विक्रम सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 के पर्यवेक्षण में की जा रही थी।

जॉच के कार्यवाही के मध्य तकनीकी एवं जमीनी सूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी। इस दौरान ज्ञात हुआ कि जनपद लखनऊ में एफसीआई में चावल, ज्वार मक्का आदि उठान का टेण्डर दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का सरगना अरविन्द चौहान उर्फ सागर खण्डेलवाल पुलिस मार्डन स्कूल विनीत खण्ड, गोमतीनगर लखनऊ के पीछे किसी से मिलने आने वाला है। इस सूचना पर तत्काल निरीक्षक श्री शिवनेत्र सिंह के नेतृत्व में निरीक्षक श्री विनय सिंह, उ0नि0 श्री रामनरेश कन्नौजिया, मु0आ0 विवेक सिंह की टीम गठित कर रवाना किया गया, टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए पुलिस मार्डन स्कूल विनीत खण्ड, गोमतीनगर लखनऊ के पीछे से अभियुक्त अरविन्द चौहान उर्फ सागर खण्डेलवाल को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मेरा वास्तविक नाम नजाहिर हुसैन पुत्र स्व0 अजादार हुसैन नि0 3/69 प्रथम तल गढ़ी, पूर्वी कैलाश दक्षिणी दिल्ली है। मैं ग्राम जरेली पोस्ट

अभयराजपुर थाना–नवाबगंज, बरेली का मूल निवासी हूँ। मेरी शिक्षा इण्टरमीडिएट है। मेरा एक संगठित गिरोह है, जो लोगों को ठेका/टेण्डर दिलाने के नाम पर फर्जी व कूटरचित दस्तावेज के माध्यम से धोखाधड़ी कर ठगी करता है। इस काम में हम लोग अपना सही नाम व पता किसी को नही बताते है। मैंने 02 फर्जी आधार कार्ड बनवा रखा है, जिसमें एक आधार नं0 902105836609 पर मेरा नाम अरविन्द चौहान पुत्र बलदेव चौहान निवासी म0नं0 54/ए, विक्टोरिया स्ट्रटी नक्खास, लखनऊ अंकित है। दूसरे आधार कार्ड पर नं0 2753740669994 नाम सागर खण्डेलवाल पुत्र सुशील खण्डेलवाल निवासी आर0जेड0बी0 144, गली नं0 07, गुरूद्वारा रोड महाबीर इन्क्लेव भाग–1, दक्षिण पश्चिम दिल्ली अंकित है। इसी प्रकार भारतीय खाद्य निगम का कूटरचित परिचय पत्र भी बनवा रखा है, जिस पर मेरा नाम अरविन्द चौहान, पद–सेक्शन आफीसर, पता–क्वाटर नं0 41, सीडब्लूएनजी कैशरबाग लखनऊ जन्मतिथि 23–10–1985 अंकित है। रफत मुइम को अपना नाम अरविन्द चौहान उर्फ सागर खण्डेलवाल बताया था। मेरी श्री सैयद रफत मुईन व तनवीर जियाउद्दीन खान निवासी खुर्रमनगर लखनऊ से भारतीय खाद्य निगम से उत्तर प्रदेश व हरियाणा राज्य के चावल का लगभग 140 करोड़ रूपये का टेण्डर दिलाने की बात तय हुई थी। मैने रफत मुईम को बताया कि 140 करोड़ के टेण्डर का 10 प्रतिशत (14 करोड़) ई0एम0डी0 (EARNEST MONEY DEPOSIT) के रूप में जमा करना पड़ेगा है। 14 करोड़ के ई0एम0डी0 (EARNEST MONEY DEPOSIT) को वेव आफ कराने के लिए 05 करोड़ रूपये में बात तय हुई थी। जिसके बाद हम लोगों द्वारा अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज दिखाकर उनको विश्वास में लेकर अलग–अलग तिथियों में लगभग 04 करोड़ रूपये नगद के रूप में ले लिया गया। शेष 01 करोड़ रूपये लेने के लिए रफत मुईम पर दबाव बना रहा था, कि पैसा जल्दी नहीं देने पर टेण्डर हाथ से निकल जायेगा। श्री सैयद रफत मुईन को टेण्डर दिलाने के नाम पर मैने भारतीय खाद्य निगम के एम–वैल्यू जंक्शन पोर्टल पर उनका रजिस्ट्रेशन हो जाने की बात कहकर सितम्बर–2024 में टेण्डर से सम्बन्धित निदेशक, एफसीआई के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर कूटरचित पत्त्र तैयार कर उनको दिया था। मैने 02 अलग–अलग बैंको के कूटरचित डिमाण्ड ड्राफ्ट 14,00,21,536/– रूपये के जनरल मैनेजर फूड कार्पोरशन आफ इण्डिया के पक्ष में तनवीर जियाउद्दीन के तरफ से बनवाया था। जब किसी व्यक्ति से ठगी करना होता है, तब मै एफसीआई से सम्बन्धित कूटरचित प्रपत्र (बरामद) पर निदेशक एफसीआई के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर उनको दे देता हूँ। मैने वर्ष–2023 में 40 लाख का टेण्डर दिलाने के नाम पर ठगी किया था। जिसके सम्बन्ध में हम लोगों के विरूद्ध थाना काशीमीरा ठाणे महाराष्ट्र में मु0अ0सं0 702/2023 धारा 420, 406, 34 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें मै 02 महीने जेल में रहा था।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध मु0अ0सं0 173/2025 धारा 318, 319, 338, 336, 340, 61 भारतीय न्याय संहित थाना गोमतीनगर, लखनऊ में दाखिल कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।